


कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

विभाग के अधीन संचालित विद्यालय में प्रधानाचार्य-उमावि स्तर के शिक्षा अधिकारियों का कॉलम संख्या-3 में अंकित अवधि का वेतन कॉलम संख्या-4 में अंकित स्थान/ विद्यालय से आहरित किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है। सम्बन्धित कार्मिक शिक्षा अधिकारी द्वारा यदि कॉलम संख्या-3 में वर्णित अवधि के दौरान किसी प्रकार के अवकाश का उपभोग किया गया है, तो अवकाश स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण किये बिना, कार्मिक का वेतन आहरित नहीं किया जावे।


क्रं.सं	कार्मिक का नाम मय पदनाम व पदस्थापन स्थान	अवधि	स्थान/विद्यालय का नाम जहां से वेतन आहरित किया जाना है
1	2	3	4
1	श्रीमती संगीता फगेडिया, प्रधानाचार्य महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सीकर	जून 2020 से जुलाई 2020	राउमावि बजाज रोड, सीकर
2	श्रीमती अल्का भाकर प्रधानाचार्य महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय न015 चूरु	जुलाई 2020	राउमावि अमरसर, बीदासर, चूरु
3	श्री महेश जैन प्रधानाचार्य महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, प्रतापगढ़	जुलाई 2020	राउमावि झांसडी प्रतापगढ़
4	श्री दिनेश कुमार, प्रधानाचार्य महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खींदरसर झुझूनू	जुलाई 2020	राउमावि गोठडा, नवलगढ़, झुझूनू
5	श्री भावना धनकड प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम राजकीय विद्यालय, सिविल लाईन्स, भरतपुर	जुलाई 2020	राउमावि जोतरुहल्ला, पहाडी, भरतपुर
6	श्री गुरमीतसिंह बराड प्रधानाचार्य महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय कैनाल कॉलोनी, हनुमानगढ़	जुलाई 2020	राउमावि बडौपल बरानी, पीलीबंगा, हनुमानगढ़
7	श्रीमती प्रिया प्रधानाचार्य महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम पुनायता, पाली	जुलाई 2020	राउमावि जैतपुर, रोहट, पाली


 संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
 माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
 बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/बी-1,2/वेतन व्यवस्था/2020/ दिनांक:-02.07.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 उप शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)राजस्थान सरकार जयपुर
- 2 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 3 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा ।
- 4 संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
- 5 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय-माध्यमिक
- 6 संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
- 7 सम्बन्धित कार्मिक/संस्था प्रधान को पालनार्थ।
- 8 रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)